भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3002
दिनांक 06 अगस्त, 2026

राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सीजीडी बुनियादी ढांचे का विस्तार

†3002. श्री मनीष जायसवालः
श्री मनोज तिवारीः
श्री विजय बघेलः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
श्री राहुल सिंह लोधीः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री राजकुमार चाहरः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
डॉ. संजय जायसवालः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय गैस ग्रिड और संबद्ध प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसकी वर्तमान लंबाई कितनी है और देवास-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय गैस ग्रिड के अंतर्गत स्वीकृत/कार्यान्वयनाधीन/प्रचालनशील प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहले से संपर्क से वंचित क्षेत्रों, जिलों और औद्योगिक समूहों के लिए पाइपलाइन कनेक्टिविटी के विस्तार में हुई प्रगति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर उपर्युक्त राज्यों में और दिल्ली में विशेषकर उत्तर पूर्व दिल्ली, मध्य प्रदेश में जनजातीय/औद्योगिक विकास हेतु इसके महत्व को देखते हुए रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर और देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्रों में जारी पाइपलाइन परियोजनाओं में तेजी लाने और अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) सुविधाओं सहित सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (सीजीडी) अवसंरचना का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है और इसकी समय सीमा क्या है, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस संबंध में क्या विशेष योजना है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने, रोजगार सृजन, प्राकृतिक गैस की पहुंच और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) विभिन्न कंपनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने और विस्तार करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। मार्च 2026 तक, पीएनजीआरबी ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने के लिए देश भर में लगभग 33,027 किलोमीटर कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को अधिकृत किया है। लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों सहित कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्र में, राष्ट्रीय गैस ग्रिड के अंतर्गत लगभग 84.67 किमी का परिचालन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है। इस परिचालन अवसंरचना में प्रमुख ट्रंक और स्पर लाइनें शामिल हैं, जिनमें हजीरा-विजयपुर (24.91 किमी), दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल 1) (24.93 किमी), दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल II) (24.95 किमी), सांवेर देवास (8.52 किमी), देवास एचआर जॉनसन (1.30 किमी) और एचआर जॉनसन रोका स्पर लाइन (0.07 किमी) के खंड शामिल हैं, जो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत प्राकृतिक गैस संपर्क प्रदान करते हैं।

पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराना और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है। इसमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति और परिवहन क्षेत्र को सीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। पीएनजीआरबी ने देश के पूरे मुख्य भूभाग को कवर करते हुए 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को अधिकृत किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों में सीजीडी की प्रगति और पाली संसदीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, रतलाम और झाबुआ जिलों, अलीराजपुर जिले, देवास जिले और शाजापुर जिले में सीजीडी की प्रगति का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

सीजीडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत या आवंटित नहीं की जाती है। सीजीडी अवसंरचना का निर्माण और निवेश अधिकृत सीजीडी कंपनी द्वारा पीएनजीआरबी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार और अनुमोदित परियोजना योजना के अनुसार किया जाता है।

सरकार ने देश में सीएनजी (परिवहन)/पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस का आवंटन, सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस का विपथनि, सीजीडी नेटवर्क का विस्तार, सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा देना, सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) उद्देश्यों के लिए उपलब्ध माध्यमों (कैस्केड मोड सहित) के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए अधिसूचना जारी करना, सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंडों के लिए दो तिमाही अग्रिम के आधार पर घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, बायो-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की दिशा में दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

पीएनजीआरबी ने सीजीडी कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत, सरकार और अधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

(i) घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक पीएनजी की कनेक्टिविटी का विस्तार;

(ii) जुड़े हुए परिवारों को सक्रिय बिलिंग वाले उपभोक्ताओं में परिवर्तित करना;

(iii) जागरूकता अभियान और उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम;

(iv) राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके वैधानिक अनुमतियों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करना; और

(v) उपभोक्ता-हितैषी उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें डिजिटल पंजीकरण, सरलीकृत कनेक्शन प्रक्रियाएं और सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित प्रचार योजनाएं शामिल हैं।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है, देरी होने पर स्वतः स्वीकृतियाँ प्रदान करने का प्रावधान है। इसके साथ ही सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है। यह आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुँच संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है, जिसमें गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाती हैं, जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली प्रमुख बाधाएँ दूर हो जाती हैं।

पीएनजीआरबी ने टैरिफ ज़ोन को तीन से घटाकर दो करके एकीकृत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया है और ज़ोन-1 (300 किमी तक) के लिए 54.00 रुपए/एमएमबीटीयू और ज़ोन-2 (300 किमी से आगे) के लिए 110.02 रुपए/एमएमबीटीयू का परिवहन टैरिफ अधिसूचित किया है। ज़ोन-1 टैरिफ को सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 300 किमी से आगे के उपभोक्ताओं के लिए परिवहन शुल्क में लगभग 50% की कमी आई है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के विस्तार से शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, उद्योगों, बिजली संयंत्रों और घरों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 31 मई, 2026 तक, पीएनजी में घरेलू कनेक्शनों की संख्या 2013-14 में 22 लाख से बढ़कर वर्तमान में लगभग 170 लाख हो गई है, जबकि सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क 2013-14 में 783 से बढ़कर वर्तमान में 8,900 से अधिक हो गया है। इसके अलावा, अधिकृत कंपनियों ने देश भर में 6,71,387 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है और अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 22,256 औद्योगिक और 52,143 वाणिज्यिक कनेक्शन प्रदान किए हैं।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के विस्तार से प्राकृतिक गैस की अपनाए जाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने कोयला और कच्चे तेल जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2014 में लगभग 138 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 190 एमएमएससीएमडी हो गई है। पाइपलाइन और सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के साथ, वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग (इसकी लागत-प्रभावशीलता और कम उत्सर्जन के कारण) बढ़ रहा है। इसी प्रकार, पहले भट्टी के तेल और डीजल पर निर्भर उद्योग भी धीरे-धीरे प्राकृतिक गैस (मुख्य रूप से पाइप वाली प्राकृतिक गैस के रूप में) की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, सीजीडी अवसंरचना के विस्तार से निर्माण, संचालन, रखरखाव और संबद्ध सेवाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है और गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान होता है।

अनुलग्नक- I

'राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सीजीडी बुनियादी ढांचे का विस्तार' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3002 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

1. परिचालनगत कॉमन कैरियर पाइपलाइनें (दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नाम	इकाई	अधिकृत लंबाई (कि.मी.)	प्राधिकरण क्षमता (एमएमएससीएमडी)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुज़रती है
1	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	8	2.50	असम
2	कावेरी बेसिन नेटवर्क	गेल	240	4.33	पुडुचेरी और तमिलनाडु
3	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर - जीआरईपी (गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना)- दहेज-विजयपुर एचवीजे/वीडीपीएल	गेल	6,169	111.3	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड
4	दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल) - विजयपुर-दादरी (जीआरईपी) अपग्रेडेशन डीवीपीएल 2 और वीडीपीएल				
5	काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद (पूर्व पश्चिम पाइपलाइन)	पीआईएल	1,459	85	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक
6	दहेज-उरण-पनवेल-दाभोल	गेल	920	22.5	गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
7	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल	878	16	आंध्र प्रदेश
8	गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	609	8.31	गुजरात
9	अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	55	2	त्रिपुरा
10	दादरी-पानीपत	आईओसीएल	132	20	हरियाणा और उत्तर प्रदेश
11	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	129	7.04	महाराष्ट्र
12	उरान-ट्रॉम्बे	ओएनजीसी	24	6	महाराष्ट्र
13	उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	2,860	44.8	गुजरात
14	हजीरा-अंकलेश्वर (एचएपीआई)	जीजीएल	73	5.06	गुजरात
15	कम दबाव वाला गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	58	12	गुजरात
16	शहडोल-फूलपुर	आरजीपीएल	312	3.50	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
17	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	एजीसीएल	105	2.42	असम
18	दुकली-महाराजगंज	गेल	5.2	0.08	अगरतला
19	उरण-तलोजा	डीएफपीसीएल	42	0.70	महाराष्ट्र
20	चैनसा-झज्जर-हिसार	गेल	455	35	हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली
21	दादरी-बवाना-नांगल	गेल	921	31	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश
कुल			**15,454.2**		

2. निर्माण-धीन कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें (दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नाम	प्राधिकृत संस्था का नाम	अधिकृत लंबाई (कि.मी.)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुज़रती है
1	एन्नोर - नेल्लोर	जीटीआईएल	220	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
2	काकीनाडा-विजयवाड़ा-नेल्लोर	आईएमसी	667	आंध्र प्रदेश
3	कनाई - छाता - पानीतर	एचपीपीएल	317	पश्चिम बंगाल
4	हजारीबाग-रांची	आईओसीएल	71	झारखंड
5	गुरदासपुर-जम्मू	गेल	160	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पंजाब
6	कोच्चि- कन्याकुमारी- थूथुकुडी	आईओसीएल	425	केरल, तमिलनाडु
कुल			**1,860**	

3. आंशिक रूप से चालू कॉमन कैरियर पाइपलाइनें (दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नाम	इकाई	अधिकृत लंबाई (कि.मी.)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुज़रती है
1	मेहसाणा भटिंडा	जीआईजीएल	1,943	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
2	भटिंडा - गुरदासपुर	जीआईजीएल	261	पंजाब
3	मल्लावरम - भोपाल - भीलवाड़ा - विजयपुर	जीआईटीएल	1,881	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
4	दाभोल - बैंगलोर	गेल	1,414	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
5	कोच्चि- कूट्टनद -बैंगलोर-मंगलोर	गेल	1,104	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
6	एन्नोर-तूतीकोरिन	आईओसीएल	1,431	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
7	जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारोधमरा-पारादीप - बरौनी-गुवाहाटी	गेल	3,546	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम
8	उत्तर-पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड	आईजीजीएल	1,688	असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, पश्चिम बंगाल
9	मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा	गेल	1,755	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा
10	श्रीकाकुलम-अंगुल	गेल	690	आंध्र प्रदेश, ओडिशा
कुल			**15,713**	

स्रोत: पीएनजीआरबी

पाइपलाइन डेटा जवाबों में इस्तेमाल की गई शब्दावली/संक्षिप्त रूप

संक्षेपाक्षर	**पूर्ण प्रपत्र**
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
एनजीपीएल	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
एमएमएससीएमडी	मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन
कि.मी.	किलोमीटर
केन्द्र शासित प्रदेशों	केंद्र शासित प्रदेश
गेल	गेल (इंडिया) लिमिटेड
पीआईएल	पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
जीएसपीएल	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड
जीजीएल	गुजरात गैस लिमिटेड
आरजीपीएल	रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड
एजीसीएल	असम गैस कंपनी लिमिटेड
डीएफपीसीएल	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-II

'राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सीजीडी बुनियादी ढांचे का विस्तार' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3002 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों में सीजीडी की प्रगति (दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएनजी कनेक्शन			सीएनजी कनेक्शन
	घरेलू कनेक्शन (सं.)	व्यावसायिक कनेक्शन (संख्या)	औद्योगिक कनेक्शन (संख्या)	सीएनजी स्टेशन (सं.)
झारखंड	1,96,415	317	42	159
मध्य प्रदेश	3,36,953	910	708	428
राजस्थान	5,44,070	783	1,920	499

स्रोत: पीएनजीआरबी

दिनांक 31 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार पाली संसदीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, रतलाम और झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिला, देवास जिला और शाजापुर जिले में सीजीडी की प्रगति निम्नानुसार है:

जिले का नाम	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	अधिकृत संस्था	पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन	सीएनजी कनेक्शन
पाली	अजमेर, पाली और राजसमंद जिले जीए	आईजीएल	2,74,035	80
उत्तर-पूर्वी दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सामान्य प्रशासन	आईजीएल	19,60,727	458
रतलाम और झाबुआ	झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले जीए	गुजरात गैस लिमिटेड	2,285	32
अलीराजपुर	अलीराजपुर, नंदुरबारा और बड़वानी जिले जीए	अडानी टोटल गैस लिमिटेड	283	18
देवास	देवास जीए	गेल गैस लिमिटेड	40,503	6
शाजापुर	रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले जीए	गेल गैस लिमिटेड	11,769	30

स्रोत: पीएनजीआरबी
